No. A-24011/23/2022-Estt. (Leave) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel and Training

> Old JNU Campus, New Delhi Dated the 25th April, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Special Casual Leave to Organ Donors - regarding.

This Department has been considering grant of Special Casual Leave to Organ Donors in the light of several references/queries received, in consultation with Ministry of Health and Family Welfare. Organ removal from a donor is a major surgery, which requires time for recovery, including both hospitalization and post hospitalization periods. Further, keeping in view the noble activity to help another human being and to promote organ donation among the Central Government employees, it has now been decided to grant a maximum of 42 days Special Casual Leave to a Central Government servant for donating their organ(s) to another human being, as a special welfare measure in public interest, notwithstanding the provision under Appendix-III of the CCS (Leave) Rules 1972 regarding grant of Special Casual Leave not exceeding 30 days in any one calendar year, on the following conditions:

- (i) Irrespective of type of surgery for removal of donor's organ, the duration of Special Casual Leave will be a maximum of 42 days as per the recommendation of Government registered medical practitioner / Doctor.
- (ii) The leave shall be granted to all types of Living Donors provided that donor had been duly approved for donation by the Government registered medical practitioner as per the Transplantation of Human Organs Act, 1994.
- (iii) The Special Casual Leave shall not be combined with any other leave except in exceptional circumstances of complications of surgery on medical recommendation by the Government registered medical practitioner / Doctor.

- (iv) Special Casual Leave shall normally be taken in one stretch starting from the day of admission in the hospital, however, in case of requirement it can be availed starting maximum one week prior to surgery on the recommendation of Government registered medical practitioner / Doctor.
- (v) Flexibility or splitting of leaves may be permitted on the recommendation of treating Government registered medical practitioner / Doctor.
- (vi) Treatment in connection with organ donation shall as far as possible be done from any Authorized Hospital. In a case where no authorized hospital is available in the area / zone of treatment and the treatment is done from a Private Hospital, production of medical certificate duly certified by concerned HOD of the Hospital is mandatory.
- (vii) "Authorized Hospital" is defined as Government Hospital or Private Hospital empanelled under Central Government Health Scheme (CGHS).

3. These orders shall be applicable to Government employees appointed to the civil services and posts in connection with the affairs of the Union of India in terms of Rule 2 of the CCS (Leave) Rules, 1972 with effect from the date of issue of this O.M.

(Sunil Kumar) Under Secretary to the Government of India

To

All the Ministries/Departments of Government of India

सं. ए/-24011/23/2022-स्था (छुट्टी) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ओल्ड जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली दिनांक 25 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अंगदाता को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने से संबंधित।

• • •

यह विभाग विभिन्न संदर्भों/प्रश्नों के आलोक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अंगदाताओं के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने पर विचार करता रहा है। किसी दाता से अंग को अलग करना एक बड़ा शल्योपचार (सर्जरी) है, जिसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल में भर्ती रहने और भर्ती रहने के बाद की अवधियों दोनों के दौरान समय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, अन्य मनुष्य की सहायता करना एक नेक कार्य है यह ध्यान रखते हुए और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए किसी एक कैलेण्डर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी 30 से अधिक नहीं होने से संबंधित सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के परिशिष्ट III के प्रावधानों के बावजूद लोकहित में विशेष कल्याण उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकारी सेवकों को दूसरे मनुष्य को अंगदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :

- (i) दाता के अंग अलग करने के लिए की गई शल्य चिकित्सा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक की सिफारिश के अनुरूप अधिकतम 42 दिनों की होगी।
- (ii) छुट्टी सभी प्रकार के जीवित अंगदाताओं को उपलब्ध होगी, बशर्ते कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अंगदान के लिए यथाविधि स्वीकृति दी गई हो।
- (iii) शल्य चिकित्सा में जटिलता की अपवादपूर्ण परिस्थितियों, जिसकी पुष्टि पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक द्वारा की जाए, को छोड़कर विशेष आकस्मिक छुट्टी को अन्य छुट्टी के साथ संयुक्त नहीं किया जाएगा।
- (iv) विशेष आकस्मिक छुट्टी सामान्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से एक बार में ही ली जाएगी, तथापि आवश्यकता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक की सिफारिश पर शल्य-चिकित्सा (सर्जरी) से अधिकतम एक सप्ताह पहले भी लिया जा सकता है।

- (v) उपचार करने वाले पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक की सिफारिश पर छुट्टियों के लचीलेपन (फ्लेक्सिबिलिटी) अथवा विभाजन की अनुमति दी जा सकती है।
- (vi) अंगदान से संबंधित उपचार जहाँ तक संभव हो, किसी अधिकृत अस्पताल से ही किया जाएगा। उपचार का ऐसे क्षेत्र/अंचल, जहाँ अधिकृत अस्पताल उपलब्ध न हों तथा उपचार निजी अस्पताल में कराया गया हो, के मामले में अस्पताल के संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (vii) "अधिकृत अस्पताल" को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत सरकारी अस्पताल अथवा निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया जाता है।

 ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से सीसीएस (छुट्टी) नियामवली,
1972 के नियम 2 के संदर्भ में भारत संघ के मामलों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे।

(सुनील कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

आरत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग